न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

देवेन्द्र बनाम बालाराम

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

| क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|---|---|---|
| 0 | आज यह दावा वकीलवादी के वकील द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब होकर दिनांक 21.04.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ अलवर | |
| 21/4/20 | पक्षकारान के वकील उप०/अ०; ... कोविड-19 ... है। अगली पेशी दिनांक 11/8/20 को पेश हो। मुलाहिजा | |
| 11/8/20 | पक्षकारान के वकील उप०/अ०; ... कोविड-19 ... है। अगली पेशी दिनांक 13/10 को पेश हो। मुलाहिजा | |
| 13/10/20 | पक्षकारान के वकील उप०/अ०; ... हड़ताल ... है। अगली पेशी दिनांक 21/1/21 को पेश हो। मुलाहिजा | |
| 21/1/21 | पत्रावली पेश। वकील वादीगण उप०। प्रति० । ल० 63 की नकल हेतु रजि० साथ। तलवाना आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली वास्ते नकल दिनांक 31/3/21 को पेश हो। | |
| 31/3/21 | पक्षकारान के वकील उप०/अ०; ... बाहर ... है। अगली पेशी दिनांक 24/5/21 को पेश हो। मुलाहिजा | |
| 24/5/21 | पक्षकारान के वकील उप०/अ०; ... कोविड-19 ... है। अगली पेशी दिनांक 27/7/21 को पेश हो। मुलाहिजा | |

# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)

देवेन्द्र बनाम बालाराम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|---|---|---|
| 20.12.23 | पत्रावली पेश। P.O. साहब कैम्प कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25.1.24 को पेश हो।<br>रीडर | |
| 25.1.24 | वकील वादी उपस्थित<br>मासिक आदेश दिनांक 27.7.21 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रजि.टाक अंतिम मौका दिनांक 15.2.24 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>गोविन्दगढ़ (अलवर) | |
| 15.2.24 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली दीर्घावधि से तलबी में विचाराधीन है। आदेशिका दिनांक 12.1.2021 में पुनः तलबाना पेश करने हेतु लिखा गया था। तलबाना पेश करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये हैं। वादीगण के निवेदन करने पर अंतिम अवसर के रूप में अनेक अवसर प्रदान किये गये हैं। इसके उपरांत आदिनांक तक फ्रेश तलबाना पेश नहीं किया गया है।<br>सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के आलोक में वादी का दावा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। दावा सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>गोविन्दगढ़ (अलवर) राज० | |